कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—द्वितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़–01 / 2025–26

दिनांक:-

प्रति.

सभी जिला कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश

विषयः— छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.03.2025 से सातवें वेतनमान मे 53 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान मे 246 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

- संदर्भः-- 1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए. / छत्तीसगढ़ राहत आदेश / वि.मु.प्र. पत्र / 171 दिनांक 30.06.2025
 - 2. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश कमांक 310/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, दिनांक 14.5.2025.

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.03.2025 से सातवें वेतनमान मे 53 प्रतिशत एवं छटवें वेतनमान मे 246 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट https://cag.gov.in/ae/Gwalior-ii/en पर भी उपलब्ध है।

वरिष्ठ संखा अभिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़—01 / 2025—26 / No ン प्रतिलिपि:—

दिनांक:- 17-7-73

व.ले.अधि. / पी.ए. / कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए. / छत्तीसगढ़ राहत आदेश / वि.मु.प्र. पत्र / 171 दिनांक 30.06.2025 के संबंध में सचनार्थ।

57201

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

2-3852

मय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़, जीरो पॉईन्ट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर — 492 005

प्रति,



Sp- 387 069 166

क्रमांकः पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 🎝 🏖 OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E) CHHATTISGARH, ZERO POINT,

BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR - 492 005

107988

दिनांक / Date : 30.06.25

वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कें दिल्ली	ॉम्प्लेक्स,नई 110124
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Naharlagun, Arunachal Pradesh	Pradesh, 791110
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी I.	781029
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात,, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अ	^{रहमदाबाद} 380009
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन,प्लॉट नं-4,एवं 5,सेक्टर 33-बी, चंडी	^{गिद्} 16004 7
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीविशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओडोरंडा, रांची	834002
11. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक,पो.बॉ5329/5369 बैंग्लोर	560001
12. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -।। मध्य प्रदेश,लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र,101 महर्षि कारवे मार्ग,पुरानी सी.जी.ओ. बिलि मैरिन लाइन्स,मुम्बई	डंग, एन. 400020
15. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
विरष्ट उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फ़ाल	795001
17. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय,शिलॉग	793001
17. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजबले मुन्त	796001
19. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालंड,काहिमा	797001
20. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा,भुवनेश्वर	751001
21. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़ 📗 🛭 🛭 🛭	160017
22: 100131411 (13174 64.) (1414 143	392003
23, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली,पी.ओटाडोंग,	मंत्रदोक 737102
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट,चेन्नई	600018

दूरमाष/Tel.: +91-771-2285954

पी.बी.एक्स./PBX.: 0771-2281451

ईमेल/Email: agaechhattisgarh@cag.gov.in

फैक्स/FAX: +91-771-2282607

वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑकुंजाभवन, अगरतल्ला	799006
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरॉचल, देहारादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून	248171
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन,विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ	226010
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश,प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
महालेखाकार (लेखा एवं हक.)वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
कन्ट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
•	605001
•	500004
वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066
	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराँचल, देहारादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून महालेखाकार (लेखा एवं हक.) [] उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन,विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) [] उत्तर प्रदेश,प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश महालेखाकार (लेखा एवं हक.)वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता कन्ट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी,पाण्डिचेरी सरकार,पाण्डिचेरी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-॥ भीकाजी कामा

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.03.2025 से सातवें वेतनमान में 53% एवं छठवें वेतनमान में 246% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 310/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/ चार, दिनांक 14.05.2025.

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति

भवदीय

विरेष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

दिनांक:

प्रतिलिपि:

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 343/एफ 2013-04-00416/वि/नि/ चार, दिनांक 10.06.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता।-

799006. 48171

070

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH FINANACE DEPARTMENT MANTRALAYA MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

No.3 10 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur Atal Nagar, Dated 14.5.2025

All Department of Government

The President of Board of Revenue, Bilaspur

All Heads of Department

All Commissioners of Divisions

All Collectors

Chhattisgarh.

Sub -Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners

The State Government had sanctioned 50% (in Seventh Pay Scale) and 239%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.10.2024 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 835/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 30.10.2024.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

		τ
Date from	Rate of increase in	Increased
	Dearness Relief	Dearness Relief
01 March 2025	3% of Basic Pension/	53%
	Family Pension	3370
01-March-2025	7% of Basic Pension/	246%
	Family Pension	21070
		which payable Dearness Relief 01-March-2025 3% of Basic Pension/ Family Pension 7% of Basic Pension/

3. The above dearness relief shall be payable to the persons receiving pension, family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Chhattisgarh Government, Finance Department's Memo No. 677/279/2024/ Fin./Rule/IV, dated 23-09-2024 (Finance Circular 07/2024 Encl.) and Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76.



4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall

be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(Dr. A.K/Singh)
Additional Secretary